



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No. 2019/HQ/Admin/RTI-280

New Delhi: 01.04.2019

Sh. Jitendra Upadhyay Advocate
Seat No. 1, 84 Khamba Ke Paschim
Kachehri, Prayagraj

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 25.02.19 received in this office through CGM/Allahabad (W)'s office on 01.04.19

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

DA: 03 sheets.



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. ALD/W/EN/RTI/49/Vol.III

Dated : 30.03.2019

उप महाप्रबन्धक / प्रशासन (पी.आई.ओ.)
मुख्यालय, डीएफसीसीआईएल
5 वी मंजिल,
प्रगति मैदान मेट्रो, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स
नई दिल्ली-110001


विषय: जन सूचना अधिकार, 2005 के अन्तर्गत श्री जीतेन्द्र उपाध्याय, एडवोकेट, सीट नं० 1 चौरासी खम्भा के पश्चिम, कवेहरी, प्रयागराज को सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: भूमि अध्याप्ति अधिकारी का पत्र 18/भूलेख-सात.रेलवे-कौशा. दिनांक 01.03.2019 (सलग्न)।

संदर्भित पत्रों के संबंध में आवेदक श्री जीतेन्द्र उपाध्याय, एडवोकेट द्वारा चाही गयी मदवार सूचना निम्नलिखित है:-

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
1.	आराजी संख्या 589 एकबा 2.1157 हे० स्थित ग्राम परसरा, परगना व तहसील चायल में से कितनी जमीन रेलवे बाई पास हेतु अधिग्रहित की गयी है?	आराजी संख्या 589 से कुल 0.7508 हे० भूमि का अधिग्रहण डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना के निर्माण हेतु किया गया है।
2.	आराजी संख्या 589 के सह खातेदार राम कन्या पत्नी मानिक चन्द्र का उनके हिस्से के अनुसार कितनी मुआवजा प्रतिकर राशि आयुक्त इलाहाबाद मण्डल के आदेश दिनांक 16.06.2014 के पश्चात् बनती है?	आराजी संख्या 589 के सहखातेदार रामकन्या पत्नी मानिक चन्द्र व रामबाबू आपसे सीधे सम्बन्धित नहीं हैं, अतः उनकी अनुमति के बिना आपको स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता।
3.	अभिनिर्णय दिनांकित - 11.06.2012 के तहत अब तक सहखातेदार राम कन्या व राम बाबू के मुआवजा राशि पर कितना ब्याज बनता है और कितने प्रतिशत की दर से ब्याज अदा किया जा रहा है?	

सलग्नक : उपरोक्त


30/3/19
(कै० आर० श्रीवास्तव)
सहा० परियोजना प्रबन्धक/वित्त
इलाहाबाद(पश्चिम)

कार्यालय जिलाधिकारी, कौशाम्बी।

पत्रांक 10 / मूलख-सात-रेलवे-कौशा0 / दिनांक- 13 फरवरी 2019

विषय- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी सूचना के संबंध में।

श्री जीतेन्द्र उपाध्याय एडवोकेट
सीट नं.-1, 84 खम्मा के परिसर
कचेहरी, प्रयागराज।

कृपया आपके प्राथमिक पत्र दिनांक 01.02.2019 के द्वारा जन सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ग्राम परसरा तहसील चायल के गाटा संख्या 589 से सम्बन्धित सूचनाएं मांगी गयी हैं। आप द्वारा वांछित सूचना का उत्तर निम्न है-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	आराजी संख्या 589 एकड़ 2:115780 स्थित ग्राम परसरा, प्रसना त तहसील चायल में से कितनी जमीन रेलवे बाईपास हेतु अधिग्रहीत की गयी है?	आराजी संख्या 589 में प्रथम अभिनिर्णय दिनांक 06.09.2010 द्वारा 0.652080 एकड़ पुरक अभिनिर्णय दिनांक 11.06.2012 द्वारा 0.098880 कुल 0.750880 भूमि अधिग्रहीत की गयी है।
2.	आराजी संख्या 589 के सह खातेदार राम कन्या पत्नी मानिक चन्द्र का उनके हिस्से के अनुसार कितनी मुआवजा (प्रतिकर) राशि आयुक्त इलाहाबाद मण्डल के आदेश दिनांक 16.06.2014 के पश्चात बनती है?	आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज के आदेश दिनांक 16.06.2014 से अरास्तुष्ट होकर मुख्य परियोजना प्रबंधक डीएनसी सीआईएल द्वारा मा0 जिला जज इलाहाबाद के न्यायालय में वाद योजित किया गया है। प्रथम अभिनिर्णय दिनांक 06.09.2010 में अभी परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त गाटे का प्रथम अभिनिर्णय दिनांक 06.09.2010 में अधिग्रहीत 0.652080 भूमि का कुल प्रतिकर 60 प्रतिशत तापण सन्धि 11.59.516.80 रु0 घोषित किया गया है।
3.	आराजी संख्या 589 के सह खातेदार राम यादु पुत्र मानिक चन्द्र का उनके हिस्से के अनुसार कितनी मुआवजा राशि आयुक्त इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.06.2014 के पश्चात बनती है?	आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज के आदेश दिनांक 16.06.2014 से अरास्तुष्ट होकर मुख्य परियोजना प्रबंधक डीएनसी सीआईएल द्वारा मा0 जिला जज इलाहाबाद के न्यायालय में वाद योजित किया गया है। प्रथम अभिनिर्णय दिनांक 06.09.2010 में अभी परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त गाटे का प्रथम अभिनिर्णय दिनांक 06.09.2010 में अधिग्रहीत 0.652080 भूमि का कुल प्रतिकर 60 प्रतिशत तापण सन्धि 11.59.516.80 रु0 घोषित किया गया है।

4. अभिनिर्णय दिनांकित 11.06.2012 के तहत अब तक सह खातेदार राम कन्या ए राम बाबू के मुआवजा राशि पर कितना ब्याज बनता है और कितने प्रतिशत की दर से ब्याज अदा किया जा रहा है?

अभिनिर्णय दिनांकित 11.06.2012 के असन्तुष्ट होकर डीएफसीसीआइएन आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज न्यायालय में वाद दायित्व किया गया जिसे बाद में वापस ले लिया गया है। अभिनिर्णय में 0.0988% प्रतिशत ब्याज देना गयी है और उसका प्रतिशत 60 प्रतिशत तोषण सहित 63,23,200.00 रु. अदा किया गया है।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

सकम प्राधिकारी (रेलवे) /
भूमि अध्याप्ति अधिकारी /
कौशाम्बी।